

नियम और विनियम

Section 4(1)(b)(i)- कार्य व कर्तव्य :- यह अधिष्ठान दीवानी न्यायालय है, इस न्यायालय में दीवानी एवं फौजदारी वादो की सुनवाई की जाती है ।

Section 4(1)(b)(ii) अधिकारी के कर्तव्य व अधिकार :- इस अधिष्ठान में न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत हाने वाले वादो पर सुनवाई करते हुए

पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजो के आधार पर सुनवाई करते हुए निर्णय पारित करना है ।

Section 4(1)(b)(iii) निर्णय निर्धारण में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया:- न्यायालय में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया पूर्व से ही पारदर्शी बनी हुई है ।

Section 4(1)(b)(iv) कार्य हेतु तय सिद्धान्त :- यह न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के अधीन है । न्यायालय के कार्य सामान्य नियमावली व्यवहार एवं फौजदारी के आधार तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशो एवं परिपत्र के आधार पर होते है ।

Section 4(1)(b)(v) नियम रगुलेशन निर्देश मैनुवल व रिकार्ड:- न्यायालय कार्य हेतु तय उपरोक्त सिद्धान्त के आधार पर कार्य करता है । न्यायालय में समस्त नियम रेगुलेशन, निर्देश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये जाते है, तथा न्यायिक अभिलेखो के रिकार्ड का संचयन जिला न्यायालय के अभिलेखागार में किया जाता है ।

Section 4(1)(b)(vi) दस्तावेज के प्रकार का विवरण :- न्यायालयो में दस्तावेजा को वाद लिपिक, निष्पादन लिपिक एवं सत्र लिपिक के नियन्त्रण में दिया जाता है। दस्तावेजों के प्रकार पक्षकारो द्वारा दायर वादो में दिये गये वाद पत्र प्रतिवाद पत्र, शपथपत्र ,लिया गया साक्ष्य प्रस्तुत दस्तावेज एवं अन्त में पारित निर्णय व डिक्री आदि

Section 4(1)

(b)(vii) जनता व प्रतिनिधित्व :-
की सलाह न्यायालय

कार्यो में जनता की सलाह का कोई प्राविधान नहीं है । न्यायालय में विधि निर्माता संकाय द्वारा जो विधि निर्गमित की जाती है उसकी ब्याख्या होती

Section 4(1)(b)(viii) बोर्डपरिसर समितियों

से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Section 4(1)(b)(ix) अधिकारी कर्मचारियों की डायरेक्टरी :- इस

न्यायालय में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों की डायरेक्टरी सलंगन है

Section 4(1)(b)(x) अधिकारियों, कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक:-

निम्नवत् है ।

Section 4(1)(b)(xi) आवृत्त बजट :- निम्नवत् है ।

Section 4(1)(b)(xii) सब्सिडी कार्यक्रम :- न्यायालय से कोई सम्बन्ध

नहीं है ।

Section 4(1)(b)(xiii) रियायती एवं परमिट आदि का विवरण :- इस

न्यायालय से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Section 4(1)(b)(xiv) न्यायालयों में मुकदमों की साप्ताहिक सूची, निर्णय जनहित में उपलब्ध कराये जाने हेतु इस जजशिप की वेबसाइट

<http://ecourt.gov.in/services/> में उपलब्ध है । **Section 4(1)(b)(xv) सूचना प्राप्त हेतु नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएँ :-** न्यायालयों की साप्ताहिक मुकदमों की सूची, अपने वादों की अग्रिम स्थिति एवं पारित निर्णय की सूचना प्राप्त करने हेतु वादकारी एवं जनता इस न्यायालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं ।

Section 4(1)(b)(xvi) सूचना अधिकारियों का विवरण :- सूचना

अधिकारियों का विवरण निम्नवत् है ।

1- श्री पूरन सिंह भंडारी , S.A.O./State Public information Officer for District Court

2- श्री हरीश चन्द्र जोशी, मुन्सरिम रीडर/Asstt. Public information officer outlying court at Haldwani.

3- श्री विजय कुमार, डिप्टी नाजिर, Asstt. Public information officer outlying court at Ramnagar.

Section 4(1)(b)(xvii)- अन्य विहित सूचनाएँ - शून्य